बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

3828 (E)
4/6/18

संकल्प

विषय – संविदा के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 88 (अठासी) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं पूर्व में कार्यरत रहे एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 89 (नवासी) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष तक पुनर्नियोजन के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा एक वर्ष की अवधि के लिए होने का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। विभागीय पत्रांक 8186 (एस) दिनांक 24.07.2009 द्वारा संयुक्त संवर्ग के अधीन कुल 856 कनीय अभियंता (असैनिक) के चयन हेतु कोटिवार रिक्ति जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी है, जिसके आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2819 दिनांक 21.05.2010 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अधियाचना भेजी गयी है। उक्त अधियाचना के आलोक में अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण नियमित नियुक्ति में विलंब हो रहा है।

2. नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया था जिसे पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 1718 दिनांक 06.05.10 के द्वारा उक्त संकल्प के कंडिका–2 में एक परन्तुक जोड़ा गया "परन्तु यह कि विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में तथा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त के अनुसार संविदा पर नियोजित व्यक्तियों को पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए एकरारनामा पुनः संपादित करना होगा और यह संकल्प सं0–2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जाएगा।"

3. वर्ष 2009 में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन हेतु अनुशंसित कुल 247 (दो सौ सैंतालीस) का पदस्थापन भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न प्रमंडलों में किया गया। विभाग को आवंटित कुल 134 (एक सौ चौंतीस) कनीय अभियंताओं में से 39 (उनतालीस) का पुनर्नियोजन विगत वर्ष हुआ है। वर्ष 2011 में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशंसित कुल 109 (एक सौ नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) की संविदा के आधार पर नियोजन भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न प्रमंडलों में किया गया। विभाग को आवंटित कुल 55 (पचपन) कनीय अभियंताओं में से 24 (चौबीस) का पुनर्नियोजन विगत वर्ष हुआ है। वर्ष 2012 में पुनः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन हेतु अनुशंसित कुल 46 (छियालीस) का पदस्थापन पथ निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न प्रमंडलों में किया गया, जिनमें से 29 (उनतीस) का पुनर्नियोजन विगत वर्ष हुआ है।

4. विगत वर्ष मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1724(ई0), दिनांक 30.03.2017 के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0 67 सहपठित ज्ञापांक 1749 (ई0) दिनांक 31.03.2017 द्वारा कुल 92 (बेरानवे) कनीय अभियंता (असैनिक) का संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया है। वर्ष 2009 में संविदा के आधार पर नियोजित एक कनीय अभियंता श्री बसंत प्रियराज जो दिनांक 25.01.2014 से दिनांक 08.08.2014 तक पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण अनुपस्थित थे, का अगला पुनर्नियोजन नहीं हो सका। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 476/2016 बसंत प्रियराज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.05.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में

सम्यक् विचारोपरांत विभागीय पत्रांक 10589(एस) दिनांक 20.11.2017 द्वारा इनका पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. विभागीय कार्यालय आदेश 67 सहपठित ज्ञापांक 1449 (ई0) दिनांक 31.03.2017 द्वारा पुनर्नियोजित कुल 92 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कुल 88 कनीय अभियंता (असैनिक) विभाग में कार्यरत हैं, जिनका कार्य–कलाप संतोषप्रद है, जिनकी नियोजन अवधि 31.03.2018 को समाप्त हो चुकी है, को विभागीय पत्रांक 8848 (एस) दिनांक 10.04.2018 द्वारा संविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रस्तावित से कार्य लिया जा रहा है। इसलिए कुल 88 संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक एवं एक कनीय अभियंता (असैनिक) श्री बसंत प्रियराज को आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Laxmi 4/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/स्था0 1–02/2015 3828 (E) पटना, दिनांक 4/6/18

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित और इसकी 100(एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

Laxmi 4/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/स्था0 1–02/2015 3828 (E) पटना, दिनांक 4/6/18

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Laxmi 4/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक–प्र03 / स्था0 1–02 / 2015 3828 (E) पटना, दिनांक 4/6/18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री (पथ निर्माण विभाग) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित), पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग / संबंधित वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03 / स्था0 1–02 / 2015 3828 (E) पटना, दिनांक 4/6/18

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कुल 89 (नवासी) संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) की सूची के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

4/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04/6/18

D:\Section_03-\Narendra Kumar_2014\Girish-10\Office 2014-3\Sankalp_15\Sankalp_ Jun_2018-88+89.docx